उत्तराखण्ड शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्याः–1306 /VI(1)/2020–04(02)/2020
देहरादूनः दिनांक 01 अगस्त, 2020
सितम्बर

अधिसूचना
विविध

राज्यपाल, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या 12 वर्ष 2001) की धारा 8 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्य में पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने एवं स्वरोजगारन्मुखी योजना को क्रियान्वित करने के लिये दी जाने वाली राजकीय सहायता को नियंत्रित करने तथा इस सहायता के अन्तर्गत प्रारम्भ की जानी वाली परियोजनाओं को संचालित किये जाने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

ट्रैकिंग ट्रॅक्शन सेंटर होम–स्टे अनुदान योजना नियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम ''ट्रैकिंग ट्रॅक्शन सेंटर होम–स्टे अनुदान योजना नियमावली, 2020'' है।
(2) यह नियमावली ट्रैकिंग ट्रॅक्शन सेंटर के आस–पास पड़ने वाले गाँवों पर लागू होगी।
(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें

2. जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में–

(क) ''होम–स्टे'' से ऐसी आवासीय इकाई अभिप्रेत है जो पूर्णतः आवासीय परिसर हो जिसमें भवन स्वामी स्वयं निवास करता हो तथा ट्रैकिंग ट्रॅक्शन सेंटर के 02 कि0मी0 की परिधि में पड़ने वाले गाँवों तथा ट्रॅक्शन सेंटर से निकलने वाले ट्रेक मार्गों में ही स्थित हो;

(ख) ''मुख्य कार्यकारी अधिकारी'' से उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) ''ट्रैकिंग ट्रॅक्शन सेंटर'' ऐसे स्थल से अभिप्रेत है जहां से अधिकतम ट्रैकिंग मार्ग प्रारंभ होते हो व शहर से अलग हो जिनका चिन्हीकरण जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा एवं यू0टी0डी0बी0 द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाए;

(घ) ''भवन स्वामी'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो तत्समय अपने स्वयं के भवन जो कि (होम–स्टे) हेतु प्रस्तावित है, में परिवार सहित निवास करता हो;

..2

(ड) ''राज्य से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

(च) ''योजना'' से ट्रैकिंग ट्रॅक्शन सेंटर होम–स्टे अनुदान योजना अभिप्रेत है;

(छ) ''समिति'' से इस नियमावली के नियम 8 के अन्तर्गत गठित चयन/ मूल्यांकन/अनुश्रवण समिति अभिप्रेत है;

(ज) ''आवेदक/लाभार्थी'' से ऐसा भवन स्वामी अभिप्रेत है जो अपने भवन के आवासीय कक्षों को पर्यटकों/अतिथियों के लिए उपलब्ध कराने का इच्छुक है एवं इस नियमावली के अन्तर्गत भवन के पंजीकरण हेतु परिषद में आवेदन करता है;

(झ) ''पंजीकरण'' से इस नियमावली के अन्तर्गत पंजीकरण अभिप्रेत है।

ट्रैकिंग ट्रॅक्शन सेंटर होम–स्टे अनुदान हेतु आवश्यक शर्तें

3. किसी भवन को होम–स्टे के रूप में प्रयुक्त किये जाने के लिये यह आवश्यक है कि–

(एक) भवन पूर्णतः आवासीय परिसर हो;
(दो) भवन स्वामी अपने परिवार सहित भवन में निवास करता हो;
(तीन) अतिथियों के खान–पान की व्यवस्था भवन स्वामी द्वारा की जाये;
(चार) होम–स्टे में अतिथियों के लिए न्यूनतम 1 तथा अधिकतम 6 कक्षों की व्यवस्था की गयी हो।
(छः) होम–स्टे का विभाग में पंजीकरण हो।

रियायतें/ छूट (Exemptions)

4. (1) होम–स्टे से प्राप्त आय पर गृह आवास के रूप में पंजीकरण के पश्चात् प्रथम तीन वर्षों तक राज्य वस्तु एवं सेवा कर की धनराशि की विभाग द्वारा अदायगी/प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(2) विद्युत/जल/भवन कर आदि जैसे शुल्क/कर को सम्बन्धित विभागों द्वारा अव्यवसायिक दरों पर वसूल किया जा सकेगा।

(3) होम–स्टे स्थापित किये जाने हेतु भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(4) भवन निर्माण करने के संबंध में प्रचलित नियमों का पालन किया जाएगा।

राजकीय सहायता दिये जाने हेतु पात्रता, प्रोत्साहन व लाभ

5. होम–स्टे स्थापित/उच्चीकृत किये जाने हेतु राजकीय सहायता (अनुदान) दी जायेगी, जिसके लिये निम्न प्रकार से नियम/शर्तों का निर्धारण किया जायेगाः–

(1) **निधि का सृजनः–** पर्यटन विभाग के आय–व्ययक में प्रत्येक वर्ष दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम–स्टे) योजना हेतु

..3

प्राविधानित धनराशि में से निधि का सृजन किया जायेगा। अनुदान की धनराशि निदेशक पर्यटन/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद देहरादून की अधिकारिता में रखी जायेगी।

(2) **पात्रताः**— इस योजना के अधीन राजकीय सहायता (अनुदान) निम्नलिखित पात्रता रखने वाले व्यक्ति को स्वीकृत की जायेगीः—

(क) ट्रॅक्शन सैंटर के पास पड़ने वाले गाँव के मूल निवासी को;
(ख) ऐसे भवन स्वामी को जो स्वयं परिवार सहित प्रस्तावित होम—स्टे में निवास करता हो;
(ग) ऐसे व्यक्ति को, जो होम—स्टे के निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि का स्वामी/ हिस्सेदार हो;
(घ) व्यक्ति किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर न हो;
(ड) रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से समय—समय पर शासन द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति, अन्य पिछड़ी जातियों, भूतपूर्व सैनिकों, दिव्यांगो आदि को दिये जाने वाले आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा;
(च) राजकीय प्रोत्साहन राशि एवं लाभ प्राप्त करने हेतु नये होम—स्टे विकसित करने के अतिरिक्त पुराने भवनों की आन्तरिक साज—सज्जा, उनका विस्तार/नवीनीकरण/सुधार एवं शौचालयों के नवनिर्माण या उच्चीकरण आदि के लिये भी योजना का लाभ अनुमन्य होगा। पारम्परिक/पहाड़ी शैली में निर्मित/विकसित भवनों को प्राथमिकता दी जायेगी।

राजकीय सहायता की धनराशि

6. राजकीय सहायता (अनुदान) के रूप में नए कक्षों के निर्माण हेतु प्रतिकक्ष रूपये 60,000 (साठ हजार) Attached toilet की सुविधा के साथ तथा पूर्व से निर्मित कक्षों की साज—सज्जा हेतु रूपये 25,000 (पच्चीस हजार) प्रतिकक्ष अधिकतम 6 कक्षों तक, का भुगतान आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत वास्तविक देयकों के आधार पर, गठित समिति के मूल्यांकन/पुष्टि के उपरान्त किया जायेगा।

राजकीय सहायता दिये जाने की अन्य शर्तें

7. (1) राजकीय सहायता (अनुदान) की धनराशि का भुगतान गठित समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात यथासंभव एक माह के भीतर कर दिया जायेगा।

(2) पूंजी संकर्म के अन्तर्गत केवल अनावर्तक प्रकार के व्यय की मदें होगी। राजकीय सहायता की प्राप्ति के 10 वर्ष के भीतर, इस प्रकार सृजित आस्तियों का न तो निस्तारण किया जायेगा और न ही उसका उपयोग उस प्रयोजन से जिसके लिये राजकीय सहायता दी गयी है से भिन्न किसी योजना के लिये किया जायगा। इस प्रकार निर्मित भवन या भवन की वर्तमान संरचना में किये गये विस्तार, जिस पर राजकीय सहायता प्रदान की गयी है, के सम्बन्ध में निजी उद्यमकर्ता, गठित समिति द्वारा नियत किराये पर पर्यटकों को ऐसे भवनों में, सुविधाओं को उपलब्ध कराने के

..4

लिये बाध्य होगा।

चयन समिति की संरचना

8. उद्यमियों के चयन एवं योजना के अनुश्रवण हेतु प्रत्येक जिले में एक चयन/अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर गठित होगीः—

(एक)	जिलाधिकारी	— अध्यक्ष
(दो)	मुख्य विकास अधिकारी	— सदस्य
(तीन)	जिलाधिकारी द्वारा नामित सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशासी अभियन्ता	— सदस्य
(चार)	जिला पर्यटन विकास अधिकारी	—सदस्य सचिव

यह समिति सम्बन्धित गाँव में आवेदकों के चयन, लाभार्थियों को वित्त पोषण, योजना की भौतिक प्रगति का क्रियान्वयन व अनुश्रवण एवं लाभार्थियों को वांछित विभिन्न सरकारी स्वीकृतियों आदि के विषय में कार्यवाही करेगी। उपरोक्त गठित समिति के कृत्यों का पूर्ण दायित्व जिलाधिकारी का होगा। यह समिति योजनाओं की भौतिक/वित्तीय प्रगति के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद मुख्यालय को अवगत करायेगी। जिन प्रकरणों पर समिति निर्णय लेने में असमर्थ रहती है उन्हें उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद/शासन को संदर्भित करेगी। जिलाधिकारी द्वारा इस समिति में अन्य विभागों के अधिकारियों अथवा आवेदकों एवं विशेषज्ञों को भी आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया जा सकता है। क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों तथा आवेदनकर्ताओं की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये वन विभाग, नक्शा पास करने वाले प्राधिकारी, नगरपालिका आदि के प्रतिनिधियों को भी बैठक हेतु विशेष आमंत्री के रूप में जिलाधिकारी द्वारा आमंत्रित किया जा सकता है।

मूल्यांकन समिति की संरचना

9. चयनित उद्यमियों के द्वारा प्रस्तुत देयकों का मूल्यांकन/पुष्टि एवं भुगतान हेतु संस्तुति के संबंध में एक चयन समिति का गठन किया जायेगा जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर गठित होगीः—

(एक)	जिला पर्यटन विकास अधिकारी	—अध्यक्ष
(दो)	सम्बंधित क्षेत्र के खंड विकास अधिकारी	—सदस्य
(तीन)	जिलाधिकारी द्वारा नामित सम्बन्धित क्षेत्र के अवर अभियंता	—सदस्य

मूल्यांकन समिति निम्न बिंदुओं को आधार मानते हुए भुगतान हेतु दस्तावेजों कि पुष्टि करेगीः—

(क) भवन

(ख) पर्यटकों/अतिथियों हेतु आवासीय सुविधांए

(ग) आवश्यक सिविल कंस्ट्रक्शन कार्य यथाः— मशीन, इक्यूपमेंट फांउडेशन (वास्तविक अथवा लोक निर्माण विभाग द्वारा अधिसूचित रेट के आधार पर, जो भी कम हो)

मूल्यांकन समिति के कृत्य

10. मूल्यांकन समिति लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों/देयकों का तकनीकी व वित्तीय परीक्षण करते हुए भुगतान हेतु अपनी संस्तुति सहित जिलाधिकारी को प्रेषित करेगी। तत्पश्चात डी0बी0टी0 के माध्यम से अनुदान की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में अंतरित की जाएगी।

जिला पर्यटन अधिकारी द्वारा समस्त दस्तावेजों का संकलन लेखा परीक्षण के उद्देश्य से किया जाएगा।

चयन प्रक्रिया

11. लाभार्थियों का चयन व्यापक प्रचार–प्रसार के उपरान्त, पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर होगा। जांचोपरान्त उपयुक्त पाये गये आवेदकों के आवेदन पत्रों के आधार पर, चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। आवेदन पत्र पर्यटन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों से या विभागीय वेब–साईट से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकेगा, जिसे भरने के पश्चात् भवन स्वामी सम्बन्धित जिले के क्षेत्रीय/जिला पर्यटन कार्यालय में जमा करेगा।

चयन समिति के कृत्यः–

12. (1) चयन समिति, प्रत्येक योजना का परीक्षण करेगी और साधारण बहुमत से राजकीय सहायता को स्वीकृत करेगी। चयन समिति के सदस्य/सचिव द्वारा विनिश्चय की सूचना सम्बन्धित उद्यमी को दी जायेगी।

(2) समिति के अध्यक्ष द्वारा समय–समय पर, योजना की सार्थकता एवं उपादेयता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से छमाही आधार पर प्रत्येक लाभार्थी/उद्यमी की परियोजना का भौतिक सत्यापन, जिसमें वाणिज्यिक सफलता का मूल्यांकन भी सम्मिलित है, किया जायेगा तथा दुरूपयोग/दुर्विनियोग की दशा में विधिक कार्यवाही सुनिश्चित् की जायेगी।

(3) लाभार्थी द्वारा अनुदान की राशि प्राप्त करने के पश्चात् नियमानुसार होम–स्टे संचालित न करना पाये जाने पर अनुदान राशि की वसूली के लिए **"उत्तर प्रदेश पब्लिक मनी (रिकवरी ऑफ डयूज) एक्ट, 1965"** के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

योजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल विभाग

13. इस नियमावली के अधीन बनायी गयी प्रत्येक योजना पर्यटन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा संचालित की जायेगी। साथ ही योजना की गुणवत्ता, उपादेयता, परिचालन, परिपुष्टता एवं आवश्यक अनुश्रवणात्मक व्यवस्थायें भी सुनिश्चित की जायेगी। उद्यमी की योजना हेतु अन्य किसी विभाग यथा वन, पर्यावरण, ऊर्जा आदि से किसी प्रकार के अनापत्ति प्रमाण–पत्र की आवश्यकता होने पर उसको उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

होम–स्टे का समूह(cluster) के रूप में विकास

14. (1) ट्रैकिंग ट्रॅक्शन सेंटर के पास 02 कि0मी0 की परिधि में स्थित किसी भी गांव में 6 या उससे अधिक होम–स्टे स्थापित किये जाने पर उन्हें समूह (cluster) माना जायेगा। ऐसे समूह (cluster) के चयन की कार्यवाही जिलाधिकारी के माध्यम से की

जायेगी। सर्वप्रथम जिले के प्रमुख पर्यटक स्थलों के आस–पास ही समूह (cluster) चिन्हित किये जाने का प्रयास किया जायेगा। यह योजना पर्यटन विभाग में पूर्व से लागू उत्तराखण्ड ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना (एकल/क्लस्टर योजना) से संचालित होगी।

(2) समूह (cluster) में जो होम–स्टे विकसित होंगे उन ग्रामों में होम–स्टे पर्यटन हेतु आवश्यक अवस्थापना सुविधा कार्य भी कराये जायेंगे।

फैसेलिटेशन एवं मार्केटिंग

15. (1) ट्रैकिंग ट्रॅक्शन सेंटर के पास स्थित किसी भी गांव हेतु विभाग द्वारा पंजीकृत होम–स्टे के लिये पृथक से पोर्टल/वेब–साईट तथा एप विकसित किया जायेगा, जिसमें होम–स्टे से सम्बन्धित समस्त जानकरियां विद्यमान होंगी।

(2) ऑन–लाईन एवं ऑफलाईन व्यवसायिक मार्केटिंग की सुविधा भी निशुल्क होम–स्टे मालिकों को प्रदान की जायेगी।

(3) होम–स्टे के फैडरेशन बनवाकर उनके प्रतिनिधियों द्वारा होम–स्टे के प्रचार–प्रसार हेतु उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा जिन राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय ट्रैवल मार्टस् में प्रतिभाग किया जाता है, में निशुल्क प्रतिभाग किये जाने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

(4) पर्यटकों की सुविधा हेतु होम–स्टे के सम्बन्ध में रेटिंग की व्यवस्था होगी, जिससे किसी होम–स्टे के विषय में पर्यटकों को उसके स्तर की जानकारी प्राप्त होगी।

(5) होम–स्टे संचालकों को समय–समय पर आतिथ्य सत्कार गतिविधियों के संचालनार्थ प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था होगी।

लेखा परीक्षा

16. इस नियमावली के प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु शासन से प्राप्त होने वाली धनराशि निदेशक पर्यटन/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् के स्तर से सम्बन्धित जिलाधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी। नियमावली के अंतर्गत किसी योजना की लेखा परीक्षा महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा की जायेगी। राजकीय सहायता के भुगतान की स्वीकृति के समस्त आदेशें की एक प्रति महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून, वित (व्यय नियंत्रण) अनुभाग, पर्यटन अनुभाग और वित (आय–व्ययक) अनुभाग को पृष्ठांकित की जायेगी।

प्रकीर्ण

17. (1) पर्यटन निदेशलय व उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के समस्त अधिकारी/कर्मचारी, जैसा कि अपेक्षित हो, सहयोग प्रदान

..7

करेंगे और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद इस नियमावली के अंतर्गत किसी योजना के निष्पादन/क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी होगा।

(2) इस नियमावली के अंतर्गत किसी योजना के क्रियान्वयन में यदि कोई स्पष्टीकरण या सूचना अपेक्षित हो तो पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन का विनिश्चय अन्तिम और सर्वमान्य होगा।

आज्ञा से,

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्याः— 1306 (1) /VI(1)/2020—04(02)/2020, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
(2) महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
(3) आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी, उत्तराखण्ड।
(4) आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल, उत्तराखण्ड।
(5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, देहरादून।
(6) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
(7) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
(8) स्टॉफ आफिसर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
(9) समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
(10) निदेशक, राजकीय प्रेस, उत्तराखण्ड, रूड़की को इस अनुरोध के साथ कि इस अधिसूचना को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करायें तथा बजट की 500 प्रतियां शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध करायें।
(11) गार्ड फाईल।

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

ट्रैकिंग ट्रॅक्शन सेंटर होम–स्टे अनुदान योजना के अन्तर्गत राज सहायता हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

सेवा में,

.....
.....
.....

स्वप्रमाणित आवेदक का फोटो

महोदय,

मैं/हम.....पुत्र श्री.....निवासी.....
.....तहसील.....डाकघर.....जिला.....
.....उत्तराखण्ड ट्रैकिंग ट्रॅक्शन सेंटर होम–स्टे अनुदान योजना के अन्तर्गत होम–स्टे निर्माण/विकसित करने हेतु रू0.....शब्दों में.....
.....धनराशि स्वीकृति हेतु निवेदन करता हूँ/करते हैं तथा इस संदर्भ में वांछित आवश्यक सूचना निम्न प्रकार से आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है:–

1–आवेदक का नाम .....
2–आयु (जन्म तिथि सहित) .....
3–योजना क्रियान्वयन का स्थल व पता .....
4–क्या आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य है,
(यदि हाँ तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करें।).....
....
5–क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है, ...
(यदि हाँ तो प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6–योजना के लिये भवन/भूमि उपलब्धता का विवरण:–
(क) भूमि का क्षेत्रफल .....
(ख) भूमि/भवन के स्वामित्व अथवा हिस्सेदारी का प्रमाण .....

पत्र जो स्थानीय सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो।
7–योजना का नक्शा .....

8–योजना की अनुमानित लागत .....

9– अन्य विवरण यदि कोई हो तो पुष्टि के आधार पर इंगित किया जाय। .....

घोषणा

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ट्रैकिंग ट्रॅक्शन सेंटर होम–स्टे अनुदान योजना नियमावली, 2020 हेतु गठित समस्त नियम एवं निर्देशों का भली भॉति अध्ययन कर लिया है तथा मैं/हम उक्त सभी नियमों एवं निर्देशों का पालन करूंगा/करेंगे। उपरोक्त दी गयी समस्त सूचना मेरे/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। मैं/हम इस बात के लिये पूर्ण रूप से सचेत हूँ/हैं कि किसी भी दशा में उक्त वर्णित सूचना गलत तथ्यों के आधार पर पायी जाती है तो "**ट्रैकिंग ट्रॅक्शन सेंटर होम–स्टे अनुदान योजना**" के अन्तर्गत होम–स्टे निर्माण/विकसित करने हेतु स्वीकृत समस्त धनराशि उपादान की राशि सहित की वसूली मुझसे कर ली जाय। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(आवेदक के हस्ताक्षर/नाम)

विशेष ध्यानाकर्षण :–

आवेदक आवेदन पत्र को दो प्रतियों में भरकर निम्नलिखित संलग्न को (सत्यापित प्रतिलिपि) सहित सम्बन्धित जनपद के पर्यटन कार्यालय अथवा पर्यटन स्वागत केन्द्र में जमा करायें :–

1 जन्मतिथि/आयु प्रमाण पत्र
2 शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
3 अनु0 जाति/अनु0 जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
4 उत्तराखण्ड के मूल निवासी होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
5 भूमि/भवन सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. ...1306..... dated ..... **August, 2020** for general information.

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND
TOURISM SECTION
No.- 1306 / VI(1)/2020-04(02)/2020
Dehradun, Dated : 01 August, 2020
September

Notification
Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 8 of the Uttarakhand Tourism Development Board Act, 2001 (Act no. 12 of 2001), the Governor is pleased to allow to make the following rules in view to control the government aid given for developing tourism as industry in the State and implementation of self-employment scheme and to operate the projects, to be started under this aid.

The Trekking Traction Centre Home-stay Grant Scheme Rules, 2020

Short title, extent and commencement 1. (1) These Rules may be called "The Trekking Traction Centre Home-stay Grant Scheme Rules, 2020".
(2) These Rules shall apply only to the villages falling nearby to the trekking traction centre.
(3) It shall come into force at once.

Definitions 2. In these rules, unless otherwise required by subject or context-
(a) "home-stay" means such residential unit which is wholly a residential premises in which building owner himself resides and is located in the villages falling within 02 km of the perimeter of trekking traction centre and trekking routes originating from the traction centre;
(b) "Chief Executive Officer" means the Chief Executive Officer of the Uttarakhand Tourism Development Board;
(c) "trekking traction centre" means such place , from where most trekking routes begins and are separate from the city, which shall be identified by the District Magistrate and shall be notified by U.T.D.B., from time to time;
(d) "building owner" means such person who, for the time being, resides with his/her family in his own building, proposed for home-stay;
(e) "State" means the Uttarakhand State;
(f) "scheme" means the trekking traction centre home-stay grant scheme;
(g) "committee" means the select/evaluation/monitoring committee constituted under rule 8 of these rules;

..2

(h) "applicant/beneficiary" means such building owner who is willing to make available residential rooms of his building for tourists/guests and applies to board for registration of building under these rules;

(i) "registration" means registration made under these rules.

Prerequisites for grant of trekking traction centre home-stay

3. For using a building as home-stay, it is necessary that :-

(i) the building is fully residential premises,

(ii) the building owner resides in the building with his/her family,

(iii) the catering of the guests shall be arranged by the building owner,

(iv) a minimum of one room and maximum six rooms have been provided for the guests in the home-stay.

(v) home-stay is to be registered in the department.

Exemptions

4. (1) The amount of State Goods and Service Tax shall be paid / reimbursed by the department for the first three years after registration as a house accommodation on the income received from the home – stay.

(2) The fees / taxes like- electricity / water / building tax etc may be recovered by the concerned departments at uncommercial rates.

(3) There is no need to change land – use to establish home –stay.

(4) The prevailing rules regarding building construction shall be followed.

Eligibility for giving government aid and incentives and benefits

5. The state government aid (grant) shall be given to establish/upgrade the home-stay, for which the rules/conditions shall be determined as follows:-

(1) Creation of funds :- Every year, in the budget of the Tourism Department, the funds shall be provided from the amount provided for the Deen Dayal Upadhyay Home-stay Scheme. The amount of the grant shall be kept under the control/jurisdiction of Director Tourism/Chief Executive Officer, Uttarakhand Tourism Development Board, Dehradun.

(2) Eligibility:- Under this scheme, the state aid (grant) shall be sanctioned to the person possessing the following eligibility :-

(a) To such person who is the domicile of the village falling near by the traction centre ;

(b) The building owner resides with his/her family in the proposed home-stay ;

..3

(c) Such person is the owner/partner of the land required for the construction of the home-stay;

(d) The person shall not be the defaulter of any bank or financial institution ;

(e) With a view to provide employment, the benefits of reservation given to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, other backwards classes, ex-servicemen, disabled etc by the government, from time to time, shall be permissible;

(f) Apart from developing new home-stays to state incentive and benefits, the benefits of the scheme shall also be permissible for the interior decoration of old buildings, their expansion/ renovation /improvement and renovation or upgrading of toilets etc. Preference shall be given to the buildings built/developed in the traditional/ hill style

Amount of Government aid **6.** After the evaluation/confirmation of the actual bills submitted by the applicant, by the committee constituted, sixty thousand rupees per room with attached toilets for construction of new rooms and rupees twenty five thousands per room for decoration of pre-constructed room, maximum for six rooms, shall be given as government-aid (grant)

Other conditions for giving government aid **7.**

(1) The amount of government aid (grant) shall be paid as soon as possible within one month after the approval of committee constituted.

(2) Only non-recurring types of expenditure shall be under capital-work. Within ten years of the receipt of government-aid, the assets such created shall neither be disposed of nor it shall be used for any other scheme than the purpose for which the government-aid is given. The private entrepreneur shall be bound to provide facilities to tourists in such buildings, on the rent fixed by the committee constituted, in respect of the extension made in the existing structure of the building or building thus constructed.

Structure of the Selection committee **8.** For the selection of entrepreneurs and monitoring the scheme, a selection/monitoring committee shall be constituted in every district, consisting of the following persons :-

(i) District Magistrate – Chairman
(ii) Chief Development Officer – Member
(iii) Executive engineer of the concerned area nominated by the District Magistrate – Member
(iv) District Tourism Development Officer -Member Secretary

..4

This committee shall proceed regarding selection of applicants, funding of beneficiaries, implementation and monitoring of physical progress of the scheme and various governmental clearances to the beneficiaries in the respective villages. The District Magistrate shall have full responsibility of the functions of the above said committee. This committee shall inform to headquarters Uttarakhand Tourism Development Board, regarding physical/financial progress of the scheme. The matter on which the committee is unable to take decision, shall refer it to the Uttarakhand Tourism Development Board/Government. Officers of other departments or applicants and experts may also be invited in this committee, by the District Magistrate, as per necessity. Keeping in view the circumstances of the particular area and problems of the applicants, representatives of the forest department, map-passing authorities, municipalities etc. may also be invited as special invitee for the meeting, by the District Magistrate.

Structure of the evaluation committee **9.** A selection committee shall be constituted regarding recommendation for evaluation/confirmation and payment of bills submitted by the selected entrepreneurs, consisting of the following members :-

(i) District Tourism Development Officer. – Chairman

(ii) Block Development Officer of the concerned area. – Member

(iii) Executive Engineer of the concerned area nominated by the District Magistrate. – Member

The evaluation committee shall confirm the documents for payments, considering the following points as bases-

(a) Building

(b) Residential facilities for the tourists/guests

(c) Necessary civil constructions works as-machine, equipment foundation (on the basis of actual or scheduled rate of PWD, whichever is lesser)

Functions of the evaluation committee **10.** The evaluation committee, after technical and financial examination of the documents/bills submitted by the beneficiary, shall forward with its recommendations for payment to the District Magistrate, thereafter the amount of grant shall be transferred into the account of beneficiary through D.B.T. All documents shall be compiled by the district Tourism officer, for the purpose of audit.

Selection Procedure **11.** The selection of the beneficiaries shall be done on the basis of first come first serve after submission of the application on the prescribed form by the tourism department, after wide publicity. The selection shall be done through interview on the basis of

..5

application of applicants found suitable after scrutiny. The application form may be obtained from regional offices or by downloading from the department website; after filling it, the building owner will submit it in the regional/district tourism office of the concerned district.

Functions of the Selection committee

12 (1) The selection committee will examine every scheme and shall approve government aid by simple majority. The information of decision shall be given to concerned entrepreneur, by the member/secretary.

(2) Physical verification of the project of every beneficiary/entrepreneur which also includes the assessment of commercial success shall be done on half-yearly basis by the chairman of the committee, from time to time to ensure the significance and utility of the scheme and ensure the legal action in case of misuse/misappropriation.

(3) After receiving the amount of grant by the beneficiary, if home-stay is not operated as per rules the action shall be taken under the Uttar Pradesh Pubic money (Recovery of dues) Act, 1965 for recovery of the amount.

Nodal department for implementation of the scheme

13. Every scheme made under this rules shall be implemented by the Tourism department, Uttarakhand besides, the quality, utility, operation, satisfaction and necessary monitoring arrangements shall also be ensured. Assistance shall be provided to the entrepreneur, in case of need of any no objection certificate from any other department like forest, environment, energy etc.

Development of home-stay cluster

14 (1) If six or more home-stay are established in any village within a perimeter of two km near the trekking traction Center, they shall be considered as a cluster. The proceeding of selection of such cluster shall be made through the District Magistrate. First of all, efforts shall be made to identify cluster around the major tourist spots of the district. This scheme shall be governed by the Uttarakhand Rural Tourism Upliftment scheme (single/cluster) already applicable in the tourism department.

(2) Necessary infrastructure facilities for home-stay tourism shall also be provided in those villages developing home-stay in cluster.

Facilitation and marketing

15 (1) For any villages located near the trekking traction centre, a separate portal/website and app shall be developed by the department for the home-stay (which shall contain all the information related to the home-stay.)

(2) The facility of online and offline commercial marketing shall also be provided free of cost to owners of home-stay.

(3) By creating the federation of home- stay, their representatives shall be provided an opportunity to participates such National and

..6

International travel marts, in which Uttarakhand Tourism Development Board takes part, free of cost.

(4) For the convenience of tourists, a rating system regarding home-stay shall be there, so that the tourists may get the information about the level any of home-stay.

(5) There shall be arrangement to provide training to the home-stay operators, from time to time, for conduct of hospitality activities.

Audit

16. For implementation of the provision of these rules, the amount received from the government shall be made available to the concerned District Magistrates from the level of Director Tourism/chief Executive officer, Uttarakhand Tourism Development Board. The audit of any scheme under the rules shall be done by the Accountant General, Uttarakhand Dehradun. A copy of all orders of sanction of payment of government aid shall be endorsed to the Accountant General Uttarakhand Dehradun, Finance (Expenditure control) section, Tourism Section and Finance (Budget) section.

Miscellaneous

17 (1) All officers/employees of the Directorate of Tourism and the Uttarakhand Tourism Development Board shall provide assistance, as required and the chief Executive officer, Uttarakhand tourism Development board shall be responsible for the execution/implementation of any scheme under these rules.

(2) If any clarification or information is required for the implementation of any scheme under these rules the decision of Tourism Department, Uttarakhand Government shall be final and acceptable.

By Order

(Dilip Jawalkar)
Secretary

No.- /VI(1)/2020-04(02)/2020, dated as above.

Copy forwarded to the following for information and necessary action :-

(1) All Additional Chief Secretaries/All Principal Secretaties/ Secretaties Government of Uttarakhand
(2) Acccountant General, Uttarakhand.
(3) Commissioners,Garhwal Mandal, Pauri, Uttarakhand.
(4) Commissioners, Kumaun Mandal,Nainital, Uttarakhand.
(5) C.E.O. Uttarakhand Tourism Development Board, Dehradun.
(6) All Heads of Department, Uttarakhand.
(7) All District Magistrates, Uttarakhand.
(8) Staff Officer, Chief Secretary,Uttarakhand.

..7

(9) All District Tourism Development Officers, Uttarakhand.

(10) Director,Government Press,Uttarakhand, Roorkee with request to publish this notification in the forthcoming edition of the Gazeette and supply 500 copies of the Gazette to the Government at the eaqrliest.

(11) Guard File.

(Shyam Singh)
Joint Secretary

Format of application for government aid under the Trekking Traction Centre Home-stay Grant Scheme

Self attested photograph of the applicant

To,

.....

.....

.....

Sir,

I/we .....s/o Shri .....r/o .....Tehsil ..... P.O.....District..... Uttarahand requests/requests to sanction .....(rs. In words) ..... for constructing/developing home-stay under the Trekking Traction Centre Home-stay Grant Scheme and necessary desirable information in its reference is as follows :-

1. Name of the applicant .....
2. Age (with date of birth) .....
3. Place and address of implementation of scheme .....
4. Whether applicant belongs to Scheduled Castes/Scheduled Tribes (if yes attach the certificate granted by the competent authority) .....
5. Whether applicant is ex-servicemen (if yes attach certificate) .....
6. Details of availability of building/land for scheme .....
   (a) Area of the land .....
   (b) Certificate of ownership or partnership of land/ building granted by the local competent authority .....
7. Map of the scheme
8. Estimate cost of the scheme
9. Any other details, if any, shall be marked on the basis of confirmation .....

..2